



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082024-256256
CG-DL-E-10082024-256256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2024/श्रावण 18, 1946

No. 451]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2024/SHRAVANA 18, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 490(अ).— केन्द्रीय सरकार अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (अज),(अट),(अठ) और (अड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: —

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र खनिज न्यास नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - "अधिनियम" से अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) अभिप्रेत है;
 - "अध्यक्ष, कार्यपालक समिति" से न्यास की कार्यपालक समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
 - "अध्यक्ष, शासी निकाय" से न्यास के शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
 - "कार्यपालक समिति" से न्यास की कार्यपालक समिति अभिप्रेत है;

- (ड) "निधि" से नियम 6 में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है;
- (च) "शासी निकाय" से न्यास का शासी निकाय अभिप्रेत है;
- (छ) "सदस्य, कार्यपालक समिति" से न्यास की कार्यपालक समिति का सदस्य अभिप्रेत है;
- (ज) "सदस्य, शासी निकाय" से न्यास के शासी निकाय का सदस्य अभिप्रेत है;
- (झ) "अपतट सुस्पष्ट भू-वैज्ञानिक संभावना क्षेत्र" से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर चिह्नित क्षेत्र अभिप्रेत है; और
- (ञ) "न्यास" से अधिनियम की धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा स्थापित अपतट क्षेत्र खनिज न्यास अभिप्रेत है;
- (2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में है।
3. **शासी निकाय और कार्यपालक समिति के कृत्य.**— (1) शासी निकाय, न्यास की कार्य करने के लिए बृहत् नीति ढांचे को अधिकथित करेगी और उसके कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगी।
- (2) शासी निकाय, कार्यपालक समिति की सिफारिशों पर न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन करेगा और यह वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगा।
- (3) कार्यपालक समिति न्यास का प्रबंध, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी तथा नियमित अंतरालों पर न्यास निधि के व्यय की मानीटरी और पुनर्विलोकन भी करेगी।
- (4) कार्यपालक समिति अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय नीतिगत ढांचे का और समय-समय पर शासी निकाय द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करेगी।
- (5) कार्यपालक समिति का अध्यक्ष किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य के कार्यकाल को परिवर्तित कर सकता है या उनके कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व उन्हें कार्यपालक समिति से हटा सकेगा।
4. **शासी निकाय की सदस्यता.**— (1) केंद्रीय सरकार पदेन सदस्यों और अन्य विशेष आमंत्रिती वाले शासी निकाय के गठन को अधिसूचित करेगी।
- (2) शासी निकाय के विशेष आमंत्रिती, यदि कोई हो, ऐसी बैठक फीस, यात्रा व्यय और जेब से किए गए व्यय के हकदार होंगे, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे।
5. **कार्यपालक समिति की सदस्यता.**— (1) केंद्रीय सरकार पदेन सदस्यों और अन्य सदस्यों वाले शासी निकाय के गठन को अधिसूचित करेगी।
- (2) केवल पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा।
- (3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों, जिसके अंतर्गत विशेष आमंत्रिती भी है, को मत देने का अधिकार नहीं होगा, किंतु वे ऐसी बैठक फीस, यात्रा व्यय और जेब से किए गए व्यय के हकदार होंगे, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे।
6. **न्यास को प्रोद्भूत निधि के प्रबंधन की रीति.**— (1) न्यास को प्रोद्भूत निधि का प्रबंधन न्यास की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा।
- (2) यह निधि भारतीय लोक लेखा के अधीन खोली जाएगी जो एक गैर-व्यपगत और यह गैर-ब्याज वाला खाता होगा और इसको केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
- (3) निधि उत्पादन पट्टा धारकों द्वारा देय संदायों से मिलकर बनेगी, जो नियम 7 में उपबंधित किए गए हैं।

- (4) निधि का उपयोग नियम 9 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
7. **न्यास में अंशदान.**— उत्पादन पट्टा धारक केन्द्रीय सरकार को रॉयल्टी का संदाय करते समय, रॉयल्टी के दस प्रतिशत के बराबर राशि न्यास को देगा, जिसे वह इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किए गए शीर्ष के अधीन भारत के लोक लेखा में जमा करेगा।
8. **कार्यालय.**— न्यास का कार्यालय, खान मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय भवन, नई दिल्ली या ऐसे अन्य स्थान पर, जो कार्यपालक समिति द्वारा अवधारित किया जाए, होगा।
9. **न्यास के उद्देश्य और कार्य.**— (1) न्यास अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप करेगा, अर्थात्:-
- (क) अपतट क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान, प्रशासन, अध्ययन और संबंधित व्यय तथा कि गई संक्रियाओं के कारण अपतट क्षेत्रों में पारिस्थिति पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव का शमन;
- (ख) अपतट क्षेत्रों में कोई आपदा होने पर राहत कार्य प्रदान करना;
- (ग) अपतट क्षेत्रों में खोज;
- (घ) खोज या उत्पादन संक्रिया से प्रभावित व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए क्रियाकलाप;
- (ङ) अपतट क्षेत्रों में पाए जाने वाले खनिजों की पहचान, खोज, निष्कर्षण, सज्जीकरण और परिशोधन करने के लिए अभिकल्पित विशेष अध्ययन और परियोजनाएं शुरू करने के लिए संस्थानों, स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तपोषित करना;
- (च) खनिज विकास, सतत उत्पादन संक्रिया, उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रथाओं को अपनाने और खनिज निष्कर्षण धातु विज्ञान के लिए अध्ययन;
- (छ) न्यास की खोज के लिए प्राथमिकताएं विनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड के साथ परामर्श;
- (ज) ऐसी रीति में टोही या खोज संक्रिया को सुसाध्य बनाना ताकि अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संक्रिया अधिकार देने के लिए अपतट क्षेत्रों की खोज की जा सके;
- (झ) उन क्षेत्रों में विस्तृत खोज (जी2 या जी1) को पूरा करने के लिए बढ़ावा देना जहां जी3 चरण की खोज पूरी की गई है;
- (ञ) अपतट स्पष्ट भूवैज्ञानिक संभावित क्षेत्रों के भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षण को सुसाध्य बनाना;
- (ट) सरकारी संगठनों द्वारा उन्नत सर्वेक्षण और खोज प्रचालन के लिए परिष्कृत वैज्ञानिक उपस्कर की खरीद को वित्तपोषित करना;
- (ठ) विशेष पनडुब्बियों और वेधशालाओं के उपयोग सहित उप-समुद्री सर्वेक्षण और खोज को बढ़ावा देना;
- (ड) पृथ्वी विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और खनिज संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय समुद्री मुख्य भंडार को सुसाध्य बनाना;
- (ढ) टोही या खोज या उत्पादन कार्यों में लगे या लगने वाले कार्मिकों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना;
- (ण) चिह्नित अपतट क्षेत्रों के आसपास के समुद्री क्षेत्रों या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और ऐसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर किसी भी समुदाय के संरक्षण को बढ़ावा देना;

- (त) ज्ञान और प्रौद्योगिकी विनिमय कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और सहायता करना;
- (थ) अपतट क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, पर्यावरणीय और धातुकर्म अध्ययन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों के आयोजन को वित्तपोषित करना और प्रोत्साहित करना; और
- (द) न्यास निधि का उपयोग ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए करना, जिसे शासी निकाय विनिश्चित करे, या कार्यपालक समिति को प्राधिकृत करे, जो अपतट क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के संरक्षण, विकास और दोहन के हित में आवश्यक या समीचीन हो, जो अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हो।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में, शासी निकाय कार्मिकों को नियोजित कर सकता है या भाड़े पर ले सकता है, संपत्ति, जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा भी है, का स्वामी हो सकता है या उसका निपटान कर सकता है, प्रशासनिक व्यय कर सकता है और दस्तावेजों का निष्पादन कर सकता है, जो आवश्यक हों।
- 10. न्यास का प्रबंधन.—** (1) न्यास का समग्र नियंत्रण, आवधिक पुनर्विलोकन और नीतिगत निदेश शासी निकाय में विहित होंगे।
- (2) कार्यपालक समिति न्यास के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों का प्रबंधन, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करेगी।
- (3) शासी निकाय कार्यपालक समिति को उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अपनी किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
- (4) कार्यपालक समिति वित्तीय शक्तियों के प्रत्योजन के लिए योजना बनाएगी और उसे अंतिम रूप देगी।
- 11. समितियां.—** (1) कार्यपालक समिति ऐसे कार्यों को करने लिए जिसे कार्यपालक समिति द्वारा ऐसी समितियों या उप समितियों को सौंपे गए या प्रत्यायोजित किए गए, ऐसे कार्य करने के लिए समितियों या उप समितियों का गठन कर सकती है।
- (2) कार्यपालक समिति द्वारा दिए गए निदेश के अधीन उपनियम (1) के अधीन गठित समिति या उप समिति इन नियमों के अधीन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और कार्य करने में अपनी अपनी प्रक्रिया को ढूंढ निकालेगा जो कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- 12. कार्यपालक समिति द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन.—** (1) कार्यपालक समिति अपनी इच्छा से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य कंपनी जिसके अंतर्गत प्राईवेट सेक्टर इकाई भी है से परियोजना प्रस्ताव होने पर न्यास के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की लिए परियोजनाएं शुरू कर सकती है।
- (2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक समिति अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों से सुसंगत स्वयं की प्रक्रिया बना सकेगी।
- 13. परियोजनाओं की मॉनीटरी.—** (1) यह न्यास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरी स्वयं या किसी सरकारी इकाई के माध्यम से करेगा।
- (2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, न्यास अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों से सुसंगत अपनी प्रक्रिया बना सकेगा।
- 14. शासी निकाय की बैठकें.—** (1) शासी निकाय एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा।
- (2) शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में शासी निकाय के पदेन सदस्य, सदस्यों में से स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।

- (3) शासी निकाय की बैठक भौतिक या आभासी रूप से या परिचालन द्वारा या इनमें से किसी के संयोजन द्वारा की जा सकती है,

परंतु परिचालन द्वारा बैठक न्यास के लेखाओं के अंगीकरण के लिए या न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट के अनुमोदन के लिए लागू नहीं होगी।

- (4) सभी विनिश्चय और संकल्प जिनके अंतर्गत शासी निकाय के परिपत्र संकल्प भी हैं, सर्वसम्मति द्वारा किए या अंगीकार किए जाएंगे।
- (5) किसी असहमति या विसम्मति की दशा में, अध्यक्ष, शासी निकाय का विनिश्चय अंतिम होगा।

15. कार्यपालक समिति की बैठकें.— (1) कार्यपालक समिति प्रत्येक तीन मास की अवधि में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

- (2) कार्यपालक समिति की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष, कार्यपालक समिति द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष, कार्यपालक समिति की अनुपस्थिति में कार्यपालक समिति के पदेन सदस्य, सदस्यों में से स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।

- (3) कार्यपालक समिति की बैठकें भौतिक या आभासी या परिचालन द्वारा या इनके संयोजन से होगी:

परंतु परिचालन द्वारा बैठक न्यास के लेखाओं के अंगीकरण, न्यास की वार्षिक योजना, वार्षिक बजट और वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए शासी निकाय की सिफारिश को लागू नहीं होगी।

- (4) सभी विनिश्चय और संकल्प जिनके अंतर्गत कार्यपालक समिति के परिपत्र संकल्प भी हैं, कार्यपालक समिति के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे या अंगीकार किए जाएंगे।
- (5) मतों की बराबरी की दशा में, अध्यक्ष, कार्यपालक समिति या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा:

परंतु कोई सदस्य कार्यपालक समितियां या उसकी किन्हीं समितियों या उप-समितियों की बैठक में विचार-विमर्श हेतु किसी विषय पर चर्चा में मतदान नहीं करेगा या भाग लेगा, यदि मामला ऐसा है, जिसमें ऐसे सदस्य का कोई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या धनीय हित है।

16. शासी निकाय और कार्यपालक समिति की बैठक के लिए सूचना और कार्यसूची.— (1) शासी निकाय का अध्यक्ष या संयोजक, अध्यक्ष, शासी निकाय की सहमति से शासी निकाय की बैठक का आयोजन सभी सदस्यों को न्यूनतम 15 दिन की सूचना देते हुए करेगा:

परंतु अध्यक्ष, शासी निकाय लघुत्तर सूचना अवधि के साथ बैठक को आयोजित करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

- (2) कार्यपालक समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव, अध्यक्ष की सहमति से कार्यपालक समिति की बैठक का आयोजन सभी सदस्यों को न्यूनतम 7 दिन की सूचना देते हुए करेगा:

परंतु कार्यपालक समिति का अध्यक्ष लघुत्तर सूचना अवधि के साथ बैठक को आयोजित करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

- (3) किसी बैठक के लिए सूचना के अंतर्गत उस बैठक की कार्यसूची, पूर्वत्तर बैठक के कार्यवृत्त का प्रारूप और पूर्वत्तर बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट शामिल होगी।

17. बैठक की गणपूर्ति.— (1) शासी निकाय की किसी बैठक की गणपूर्ति, विशेष आमंत्रिती को अपवर्जित करते हुए सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी।

- (2) कार्यपालक समिति की किसी बैठक की गणपूर्ति जिसके अंतर्गत कोई आभासी बैठक भी है, नामनिर्देशित सदस्यों को अपवर्जित करते हुए, सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी।
- 18. कार्यपालक समिति के सदस्य सचिव की शक्तियां और कार्य.—** (1) कार्यपालक समिति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यपालक समिति का एक सदस्य-सचिव होगा।
- (2) कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव ,
- (क) कार्यपालक समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्यक्षीन न्यास का प्रशासन और प्रबंध करेगा।
- (ख) ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कार्यपालक समिति द्वारा प्रत्यायोजित की जाए या जो अध्यक्ष, कार्यपालक समिति द्वारा समनुदेशित की जाएं।
- (3) उप नियम (1) और उपनियम (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यपालक समिति के सदस्य सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात्:-
- (क) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट तैयार करवाना और उनको कार्यपालक समिति को शासी निकाय के विचार और सिफारिश हेतु प्रस्तुत करना,
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि न्यास द्वारा अपने आरंभ किए जाने वाले प्रस्तावों और परियोजनाओं पर विचार करने से पूर्व कार्यपालक समिति की प्रथाओं, प्रक्रियाओं, नियमों या निदेशों के अनुसार सम्यक तत्परता का प्रयोग किया गया है;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि न्यास के कार्यकलाप वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं; और
- (घ) शासी निकाय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी के अंत तक प्रस्तुत करना।
- 19. वार्षिक योजना.—** (1) कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में सुसंगत वित्तीय वर्ष में न्यास द्वारा आरंभ किए जाने हेतु प्रस्तावित अल्पावधि परियोजनाओं और दीर्घावधि परियोजनाओं के लिए योजना, जिसे वार्षिक योजना के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, ऐसी अवधि के दौरान परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अनुमानित समय और ऐसी परियोजनाओं के लिए न्यास द्वारा आरंभ या पूर्ण किए जाने वाले क्रियाकलापों के ब्यौरे सहित तैयार करवाएगा।
- (2) वार्षिक योजना में न्यास द्वारा अपने उद्देश्यों का प्राप्त करने के लिए अपने आरंभ किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी परियोजनाएं, कार्यक्रम, क्रियाकलाप अंतर्विष्ट होंगे और सुस्पष्ट रूप से निर्धारित लक्ष्य होंगे।
- 20. वार्षिक बजट.—** कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना के अंतर्गत क्रियाकलापों पर प्रस्तावित आय और व्यय के ब्यौरों से अंतर्विष्ट वार्षिक बजट तैयार करवाएगा, जिसके अंतर्गत इस संबंध में निधिकरण अपेक्षाओं के ब्यौरों सहित न्यास द्वारा उपगत किए जाने वाले विधिक, प्रशासनिक और अन्य लागत एवं व्यय का प्रस्ताव भी है जिसे वार्षिक बजट के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (2) निधि के अधीन उपगत व्यय करने के लिए समुचित शीर्ष के अधीन केंद्रीय सरकार की अनुदान मांगों में वार्षिक बजट का उपबंध भी किया जाएगा तथा उसके समतुल्य रकम इस निधि से पूरी की जाएगी।
- (3) निधि का सम्यक विनियोजन और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की प्राप्ति के पश्चात निधि के अधीन व्यय सुसंगत उप मुख्य या लघु शीर्षों से उपगत किया जाएगा और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मंजूरी के आधार

पर केंद्रीय सरकार के वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा साधारण वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार संदाय किया जाएगा।

- 21. वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन.—** (1) वार्षिक योजना और वार्षिक बजट शासी निकाय के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष आरंभ होने से तीस दिन पूर्व उनके अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे।
- (2) शासी निकाय के अनुमोदन के पश्चात् वार्षिक योजना या वार्षिक बजट में कोई भी उपांतरण कार्यपालक समिति के अनुमोदन से किया जा सकेगा तथा शासी निकाय को उसकी अगली बैठक में सूचित किया जाएगा।
- 22. वार्षिक रिपोर्ट.—** (1) कार्यपालक समिति का सदस्य-सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में 90 दिन के भीतर ऐसी सूचना जो कार्यपालक समिति द्वारा समुचित समझी जाए, से अंतर्विष्ट एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (2) वार्षिक रिपोर्ट कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी और उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यास द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान पूरे किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे और ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान न्यास द्वारा उपगत व्यय अंतर्विष्ट होंगे।
- (3) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति कार्यपालक समिति द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी।
- 23. वित्तीय वर्ष.—** (1) न्यास का लेखांकन या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
- (2) न्यास की संक्रियाओं का प्रथम वर्ष आंशिक वर्ष हो सकता है।
- 24. लेखाओं का अनुरक्षण और लेखा परीक्षा.—** (1) केंद्रीय सरकार का वेतन और लेखा कार्यालय निधि में होने वाली अनुवृद्धि और संदाय का विवरण रखेगा तथा संबंधित प्रभागों के साथ मासिक आधार पर उनका मिलान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय निधि में कोई प्रतिकूल अतिशेष न हो।
- (2) न्यास के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यक्षीन होगा तथा केंद्रीय सरकार में मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा भी लेखा परीक्षा के अध्यक्षीन होगा।

[फा. सं. एम. VI-1/2/2024-खान VI]

डा. वीणा कुमारी डर्मल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th August, 2024

G.S.R. 490(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (jj), (jk), (jl) and (jm) of sub-section (2) of section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Offshore Areas Mineral Trust Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “**Act**” means the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003);
 - (b) “**Chairperson, Executive Committee**” means the Chairperson of the Executive Committee of the Trust;
 - (c) “**Chairperson, Governing Body**” means the Chairperson of the Governing Body of the Trust;
 - (d) “**Executive Committee**” means the Executive Committee of the Trust;
 - (e) “**fund**” means the fund referred to in rule 6;
 - (f) “**Governing Body**” means the Governing Body of the Trust;
 - (g) “**Member, Executive Committee**” means the member of the Executive Committee of the Trust;
 - (h) “**Member, Governing Body**” means the member of the Governing Body of the Trust;
 - (i) “**offshore obvious geological potential areas**” means the area identified by the Geological Survey of India from time to time; and
 - (j) “**Trust**” means the Offshore Areas Mineral Trust established by notification by the Central Government under sub-section (1) of section 16A of the Act.(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act and the rules made thereunder.
3. **The Functions of the Governing Body and the Executive Committee.**—(1)The Governing Body shall lay down the broad policy framework for the functioning of the Trust and review its working.
 - (2) The Governing Body shall approve the annual plan and annual budget of the Trust upon the recommendations of the Executive Committee and it shall meet at least once in a year.
 - (3) The Executive Committee shall manage, administer and supervise the Trust and shall also monitor and review the expenditure of the Trust fund at regular intervals.
 - (4) The Executive Committee shall, while discharging its functions, follow the policy framework and the directions of the Governing Body from time to time.
 - (5) The Chairperson of the Executive Committee may vary the term of office of any nominated member or remove him from the Executive Committee before the completion of his term.
4. **Membership of Governing Body.**—(1) The Central Government shall notify composition of the Governing Body having *ex officio* members and other special invitees.
 - (2) Special invitees, if any, of the Governing Body shall be entitled to such sitting fee, conveyance and out of pocket expenditure as the Governing Body may decide.

- 5. Membership of Executive Committee.**—(1) The Central Government shall notify composition of the Executive Committee having *ex officio* members and other members.
- (2) The *ex officio* members only shall have voting rights.
- (3) Members, other than *ex officio* members including special invitees shall have no voting rights but shall be entitled to such sitting fee, conveyance and out of pocket expenditure as the Governing Body may decide.
- 6. Manner of administration of fund accrued to the trust.**—(1) The fund accrued to the Trust shall be managed by the Executive Committee of the Trust.
- (2) The fund shall be opened under the Public Account of India which shall be a non-lapsable and non-interest bearing account and shall be administered by the Central Government.
- (3) The fund shall comprise of payments, as provided under rule 7, payable by the holders of the production lease.
- (4) The fund shall be utilized for carrying out the objects and functions as specified in rule 9.
- 7. Contribution to Trust.**—The holder of production lease shall, while making payment of royalty to the Central Government, pay to the Trust a sum equivalent to ten percentage of the royalty by depositing the same in the Public Account of the India under the Head booked for this purpose.
- 8. Office.**—The office of the Trust shall be situated at Ministry of Mines, Central Secretariat building, New Delhi or at such other place as may be determined by the Executive Committee.
- 9. Objects and functions of the Trust.**—(1) The Trust shall undertake the following activities to achieve its objects, namely:—
- (a) research, administration, studies and related expenditure with respect to offshore areas and mitigation of any adverse impact that may be caused to the ecology in the offshore area, due to operations undertaken;
- (b) providing relief upon the occurrence of any disaster in the offshore area;
- (c) the purposes of exploration in the offshore area;
- (d) for the interest and benefit of persons affected by exploration or production operations undertaken;
- (e) funding institutions, start-ups and micro, small and medium enterprises for undertaking special studies and projects designed to identify, explore, extract, beneficiate and refine minerals occurring in offshore areas;
- (f) studies for mineral development, sustainable production operations, adoption of advanced scientific and technological practices and mineral extraction metallurgy;
- (g) consultation with the Central Geological Programming Board to decide the priorities for exploration of the Trust;
- (h) facilitation of reconnaissance or exploration operation in such a manner that the offshore areas explored can be taken up for grant of operating rights in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
- (i) promoting completion of detailed exploration (G2 or G1) in the areas where G3 stage exploration has been completed;
- (j) facilitation of geological and geophysical survey of offshore obvious geological potential areas;
- (k) funding procurement of sophisticated scientific equipment for advanced survey and exploration operations by government organizations;

- (l) promoting subsea survey and exploration, including use of specialised submersibles and observatories;
 - (m) facilitating a national marine core repository for encouraging research in earth sciences and for evaluation of the mineral prospects;
 - (n) organizing capacity building programmes to raise technical capability of personnel engaged in or to be engaged in reconnaissance or exploration or production operations;
 - (o) promoting conservation of marine areas or marine ecosystem and any community dependent on such marine ecosystem in the vicinity of the identified offshore areas;
 - (p) encouraging and assisting international co-operation in knowledge and technology exchange programmes;
 - (q) funding and encouraging organization of national and international workshops, seminars in the field of geological, geophysical, environmental and metallurgical studies in offshore areas; and
 - (r) using the Trust fund for such other purposes that the Governing Body may decide, or authorise the Executive Committee, to be necessary or expedient in the interest of conservation, development and exploitation of mineral resources in offshore areas, not inconsistent with the provisions of the Act.
- (2) In furtherance of the objectives referred to in sub-rule (1), the Governing Body may employ or hire personnel, own and dispose off property, including intellectual property, incur administrative expenses and execute documents as may be necessary.

10. Management of the Trust.—(1) The overall control, periodical reviews and policy directions of the Trust shall vest with the Governing Body.

- (2) The Executive Committee shall manage, administer and supervise the day to day activities of the Trust.
- (3) The Governing Body may authorize the Executive Committee to exercise any or all of its powers specified in sub-rule (1).
- (4) The Executive Committee shall formulate and finalize the scheme for delegation of financial powers.

11. Committees.—(1) The Executive Committee may constitute committees or sub-committees to undertake such tasks that may be assigned or delegated by the Executive Committee to such committees or sub-committees.

- (2) Subject to any direction by the Executive Committee, the committee or sub-committee constituted under sub-rule (1) shall devise its own procedure in the discharge of the duties and responsibilities under these rules and in exercise of such powers and functions as may be specified by the Executive Committee.

12. Implementation of projects by the Executive Committee.—(1) The Executive Committee may undertake projects to implement the objectives of the Trust on its own accord or upon receipt of a project proposal from the Central Government, State Government, Geological Survey of India, Indian Bureau of Mines or any other entity, including private sector entities.

- (2) In implementation of the projects referred to in sub-rule (1), the Executive Committee may devise its own procedure consistent with the Act and the rules made thereunder.

13. Monitoring of projects.—(1) The Trust shall monitor implementation of the projects either by itself or by engaging any government entity.

- (2) For the purposes of sub-rule (1), the Trust may devise its own procedure consistent with the Act and the rules made thereunder.

14. Meetings of the Governing Body.—(1) The Governing Body shall meet at least once in a year.

- (2) The meetings of the Governing Body shall be presided by the Chairperson, Governing Body and in the absence of the Chairperson, Governing Body, the *ex officio* Members of the Governing Body may elect an officiating Chairperson, from amongst themselves.
- (3) The meetings of the Governing Body may be either physical or virtual or by circulation or by combination of either:

Provided that the meeting by circulation shall not apply for adoption of accounts of the Trust or for approval of annual plan and annual budget of the Trust.
- (4) All decisions or resolutions including circular resolutions of the Governing Body shall be made or adopted by consensus.
- (5) In case of any disagreement or dissent, the decision of the Chairperson, Governing Body shall be final.

15. Meetings of the Executive Committee.—(1) The Executive Committee shall meet at least once in every three months.

- (2) The meetings of the Executive Committee shall be presided by the Chairperson, Executive Committee and in the absence of the Chairperson, Executive Committee, the *ex officio* Members of the Executive Committee may elect an officiating Chairperson, from amongst themselves.
- (3) The meetings of the Executive Committee may be either physical or virtual or by circulation or by combination of either:

Provided that the meeting by circulation shall not apply for adoption of accounts of the Trust, recommendation to Governing Body for approval of annual plan, annual budget and annual report of the Trust.

- (4) All decisions or resolutions including circular resolutions of the Executive Committee shall be made or adopted by a majority of votes of the members of the Executive Committee present and voting.
- (5) In case of equality of votes, the Chairperson, Executive Committee, or in his absence, the member presiding over such meeting as the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that no member shall vote or take part in the discussion of any matter coming up for consideration at a meeting of the Executive Committee or any of its committees or sub-committees, if the matter is one in which such member has any direct, indirect or pecuniary interest.

16. Notice and agenda for meeting of the Governing Body and Executive Committee .—(1) The Chairperson or the Convenor of the Governing Body with the consent of the Chairperson, Governing Body, shall convene the meeting of the Governing Body by giving a minimum fifteen days' notice to all the members:

Provided that the Chairperson, Governing Body may authorize to convene a meeting with a shorter notice period.

- (2) The Chairperson or the Member Secretary of the Executive Committee, with the consent of the Chairperson shall convene the meeting of the Executive Committee by giving a minimum seven days' notice to all the Members:

Provided that the Chairperson of the Executive Committee may authorize to convene a meeting with a shorter notice period.

- (3) Notice for any meeting shall include an agenda for that meeting, draft minutes of the earlier meeting and action taken report on the minutes of the earlier meeting.

17. Quorum for meeting.—(1) The quorum for any meeting of the Governing Body shall be one-third of the total number of members, excluding the special invitees.

- (2) The quorum for any meeting of the Executive Committee, including a virtual meeting, shall be one-third of the total number of members, excluding the nominated members.

18. Powers and functions of the Member Secretary of the Executive Committee.—(1) There shall be a Member Secretary of the Executive Committee to discharge the functions of the Executive Committee.

- (2) The Member Secretary of the Executive Committee shall,—
- (a) administer and manage the Trust subject to the superintendence, control and direction of the Executive Committee.
 - (b) exercise such administrative and financial powers as may be delegated by the Executive Committee or as may be assigned by the Chairperson, Executive Committee.
- (3) The Member Secretary of the Executive Committee shall have the following duties and responsibilities, without prejudice to the generality of sub-rule (1) and (2), namely:—
- (a) to cause the preparation of the annual plan and related annual budget and submit them to the Executive Committee for consideration and recommendation to the Governing Body;
 - (b) to ensure that due diligence has been exercised before considering proposals or projects to be undertaken by the Trust in accordance with the practices, procedure, rules or directions of the Executive Committee;
 - (c) to ensure that the activities of the Trust are being conducted in accordance with the annual plan and related annual budget; and
 - (d) to submit to the Governing Body the annual plan and related annual budget for each financial year, by the end of January of previous financial year.
- 19. Annual Plan.**—(1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, before the beginning of each financial year, cause preparation of plans for short term projects and long term projects proposed to be undertaken by the Trust in the relevant financial year, to be referred as the annual plan, together with details of the activities to be undertaken or completed by the Trust during such time, the expected time for completion of the projects and cost for such projects.
- (2) The annual plan shall contain all projects, programmes, activities proposed to be undertaken by the Trust for achieving its objects and shall have clearly demarcated milestones.
- 20. Annual Budget.**— (1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, before the beginning of each financial year, cause preparation of an annual budget containing the details of the proposed income and expenditure on activities covered in the annual plan for that particular financial year, including the legal, administrative and other costs and expenditure proposed to be incurred by the Trust together with details of funding requirements in this regard, to be referred as the annual budget.
- (2) Annual budget provision shall also be made in the Demands for Grants of Central Government under appropriate Head for incurring expenditure under fund and equivalent amount thereof shall be met from the fund.
- (3) After due appropriation of fund and receipt of sanction of the Competent Authority, the expenditure under the fund shall be incurred from the relevant sub-major or minor heads and on the basis of the sanction issued by the Central Government, the Pay and Accounts Office of the Central Government shall make the payment as per the General Financial Rules, 2017.
- 21. Approval of the Annual Plan and the Annual Budget.**— (1) The annual plan and the annual budget shall be laid before the Governing Body for its approval thirty days before the beginning of each financial year.
- (2) Any modification in the annual plan or the annual budget subsequent to the approval of the Governing Body may be done with the approval of the Executive Committee and informed to the Governing Body in its next meeting.
- 22. Annual report.**—(1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, within ninety days of the end of each financial year, submit an annual report containing such information as deemed appropriate by the Executive Committee.
- (2) The annual report shall be approved by the Executive Committee and shall contain details, *inter alia*, of the activities completed by the Trust during the financial year and the expenditure incurred by the Trust during such financial year.

- (3) A copy of the annual report shall be sent to the Central Government within a period of thirty days from the date of its approval by the Executive Committee.
- 23. Financial Year.**—(1) The accounting or financial year of the Trust shall be from the 1st of April to the 31st of March.
- (2) The first year of operations of the Trust may be a partial year.
- 24. Maintenance and Audit of Accounts.**— (1) The Pay and Accounts Office in the Central Government shall maintain a broadsheet of accretions to and payment from the fund and effect reconciliation on monthly basis thereof with the concerned divisions and shall ensure that there are no adverse balances in the fund at any point of time.
- (2) The account of the Trust shall be subject to the audit by the Comptroller and Auditor General of India and also to audit by internal audit wing of the office of the Chief Controller of Accounts, in the Central Government.

[F. No. M.VI-1/2/2024-Mines VI]

Dr.VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.